


अनुलग्नक



अनुलग्नक-1

(जैसा कि पैरा 2.5 में संदर्भित किया गया है)

दिसंबर 2018 तक पूर्णता की स्थिति के साथ निष्पादन लेखापरीक्षा के लिए 18 चयनित परियोजनाओं का विवरण

क्रम संख्या	परियोजना का नाम	निवेश अनुमोदन की तिथि	निवेश अनुमोदन लागत (₹ करोड़ में)	31 मार्च 2017 तक पूंजीगत व्यय (₹ करोड़ में)	चाहे दिसंबर 2018 को पूरा हो या चल रहा हो
(I)	सिस्टम को मजबूत बनाने परियोजना				
1	सिस्टम मजबूत करना - दक्षिणी क्षेत्रीय ग्रिड में XIX (एसआरएसएस - XIX)	31.08.2012	1,935.35	1,717.50	मार्च 2015 में पूरा हुआ
2	कृष्णापट्टनम यूएमपीपी - पार्ट बी के लिए ट्रांसमिशन सिस्टम	08.02.2012	1,927.16	1,718.60	अप्रैल 2016 में पूरा हुआ
	कुल			3,436.10	
(II)	उत्पादन संबद्ध परियोजना				
3	छत्तीसगढ़ में आईपीपी उत्पादन परियोजनाओं के लिए डब्ल्यूआर के पश्चिमी भाग में ट्रांसमिशन सिस्टम मजबूत - डीपीआर 4	17.11.2011	2,127.51	2,356.30	दिसंबर 2017 में पूरा हुआ
4	छत्तीसगढ़ में आईपीपी परियोजनाओं के लिए डब्ल्यूआर के उत्तर/पश्चिम भाग में सिस्टम मजबूत (डीपीआर-5)	27.12.2011	1,746.65	1,825.10	दिसंबर 2017 में पूरा हुआ
5	ईस्ट कोस्ट एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड और एनसीसी से जुड़ी कॉमन सिस्टम, श्रीकाकुलम एरिया में पावर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड एलटीओए जेनरेशन प्रोजेक्ट्स -पार्ट-बी	28.03.2013	2,514.88	1,955.60	दिसंबर 2018 में पूरा हुआ
6	पल्लाना गैस आधारित विद्युत परियोजना और बोंगईगांव थर्मल पावर स्टेशन (बोंगईगांव के लिए	25.02.2010	2,144.00	1,804.20	नवंबर 2018 में पूरा हुआ

2020 का प्रतिवेदन संख्या 9


क्रम संख्या	परियोजना का नाम	निवेश अनुमोदन की तिथि	निवेश अनुमोदन लागत (₹ करोड़ में)	31 मार्च 2017 तक पूंजीगत व्यय (₹ करोड़ में)	चाहे दिसंबर 2018 को पूरा हो या चल रहा हो
	टीएस विलय) से जुड़े ट्रांसमिशन सिस्टम				
7	उत्तर पूर्व-उत्तरी/ पश्चिमी इंटर-कनेक्टर-I (सुबनसिरी और कामेंग)	24.02.2009	1,1130.19	8,125.90	चल रहा है (प्रत्याशित तिथि मार्च 2022)
8	छत्तीसगढ़ में आईपीपी परियोजनाओं के लिए डब्ल्यूआर-एनआर एचवीडीसी इंटरकनेक्टर (डीपीआर-9)	26.03.2012	9569.76	7,084.30	सितंबर 2017 में पूरा हुआ
9	पश्चिम बंगाल के उत्तरी भाग में पूर्णिंग स्टेशन के विकास के लिए ट्रांसमिशन प्रणाली और भूटान से एनआर/ डब्ल्यूआर को बिजली हस्तांतरित करना	15.04.2010	4,404.57	3,089.40	मार्च 2018 में पूरा हुआ
10	विंध्याचल-4 और रिहंद-III (1000 एमडब्ल्यू) जनरेशन प्रोजेक्ट्स का ट्रांसमिशन सिस्टम	16.03.2010	4,672.99	2,874.50	अगस्त 2015 में पूरा हुआ
11	उड़ीसा में चरण-1 जनरेशन परियोजनाओं के लिए ट्रांसमिशन सिस्टम (भाग-सी)	15.03.2011	2,569.25	2,699.00	अगस्त 2015 में पूरा हुआ
12	झारखंड और पश्चिम बंगाल पार्ट बी में फेज-1 जनरेशन प्रोजेक्ट्स के लिए ट्रांसमिशन सिस्टम	08.02.2012	3,201.44	3,628.90	अक्टूबर 2016 में पूरा हुआ
13	ट्रांसमिशन सिस्टम फेज - I झारखंड और पश्चिम बंगाल में जनरेशन परियोजनाएं - भाग ए 2	27.12.2011	2,422.66	2,383.30	अप्रैल 2016 में पूरा हुआ
	कुल			37,826.50	
(III)	अंतर - क्षेत्रीय				
14	एनआर और डब्ल्यूआर के लिए अंतर-क्षेत्रीय प्रणाली सुदृढीकरण योजना (भाग-बी)	24.12.2014	6,517.36	2,779.70	अप्रैल 2018 में पूरा हुआ

क्रम संख्या	परियोजना का नाम	निवेश अनुमोदन की तिथि	निवेश अनुमोदन लागत (₹ करोड़ में)	31 मार्च 2017 तक पूंजीगत व्यय (₹ करोड़ में)	चाहे दिसंबर 2018 को पूरा हो या चल रहा हो
15	वर्धा - हैदराबाद 765 केवी लिंक [आंध्र प्रदेश के वेमगिरी क्षेत्र में आईएसजीएस परियोजनाओं के साथ संबद्ध तत्कालीन सामान्य पारिषण योजना - भाग-बी]	29.01.2015	3,662.02	2,136.80	जुलाई 2017 में पूरा हुआ
	कुल			4,916.50	
(IV)	ग्रीन कॉरिडोर				
16	ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर: इंटर स्टेट ट्रांसमिशन स्कीम (आईएसटीएस) भाग ए	17.04.2015	1,479.30	525.54	जून 2018 में पूरा हुआ
17	ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर: इंटर स्टेट ट्रांसमिशन स्कीम (आईएसटीएस) भाग - बी	17.04.2015	3,705.61	1,564.20	चल रहा है (प्रत्याशित तिथि फरवरी 2019)
18	ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर: नवीकरणीय उत्पादन परियोजनाओं के लिए ट्रांसमिशन योजना - भाग सी	02.07.2015	2,247.37	263.14	चल रहा है (प्रत्याशित तिथि जनवरी 2019)
	कुल			2,352.88	
	कुल योग (I+II+III+IV)			48,531.98	

अनुलग्नक-2

(जैसा कि पैरा 3.1 में संदर्भित किया गया है)

ट्रांसमिशन परियोजना अवधारणा से परियोजना अनुमोदन तक की गतिविधियों को दिखाते हुए प्रवाह चार्ट



अनुलग्नक-3

(जैसा कि पैरा 4.2.1 में संदर्भित किया गया है)

वन मंजूरी प्रस्ताव प्रस्तुत करने के बाद वन क्षेत्र के पुनः संरक्षण के उदाहरणों को दर्शाने वाला विवरण

क्रम संख्या	ट्रांसमिशन परियोजनाएं	विवरण	प्रबंधन का जवाब	लेखापरीक्षा टिप्पणियां
1	पलेटाना गैस आधारित विद्युत परियोजना और बोंगईगांव थर्मल पावर स्टेशन परियोजना से जुड़े ट्रांसमिशन सिस्टम	<p>प्रासीघाट में - रोइंग 132 केवी एससी लाइन, प्रारंभिक वन प्रस्ताव 14 सितंबर 2010 को प्रस्तुत किया गया था (प्रासीघाट डिवीजन के लिए- 36.07 हेक्टेयर और रोइंग डिवीजन - 117.7 हेक्टेयर)। तथापि, इसे पीजीसीआईएल द्वारा वापस ले लिया गया था और लाइन के पुनः संरक्षण के कारण (31 जनवरी 2012) को नया प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था क्योंकि प्रासीघाट डिवीजन के लिए पहले की परिकल्पना की गई मार्ग दुर्गम थी और सड़क संचार लंबे समय तक बाधित रहने के अधीन था। इससे वन मंजूरी प्रक्रिया में देरी हुई।</p>	<p>1) प्रासीघाट - रोइंग 132 केवी एससी लाइन: मार्ग के प्रारंभिक सर्वे के आधार पर वन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। हालांकि, विस्तृत सर्वेक्षण के दौरान यह देखा गया कि मानसून के दौरान लगभग 7 से 8 महीनों तक स्थान दुर्गम थे; और संचार वर्ष के अधिकांश भाग के लिए काट रहे थे और स्थानों अक्टूबर के बाद ही सुलभ हो गया।</p>	<p>1) प्रासीघाट - रोइंग 132 केवी एससी लाइन: प्रारंभिक प्रस्ताव 14 सितंबर 2010 को प्रस्तुत किया गया था और इसे पावरग्रिड ने 31 जनवरी 2012 को वापस ले लिया था, यानी लगभग दो साल बीत जाने के बाद। इसके औचित्य की जरूरत है। इसके अलावा, यदि पावरग्रिड ने डब्ल्यूपीपीपी द्वारा अधिदेशित बीओक्यू और लागत अनुमान तैयार करने से पहले विस्तृत सर्वेक्षण किया होता, तो मार्ग की पहुंच के बारे में तथ्य बहुत पहले स्पष्ट हो जाता और प्रस्तावित भूमि के पुनः संरक्षण से बचा जा सकता था। इसके बजाय पावरग्रिड ने केवल प्रारंभिक सर्वेक्षण के आधार पर प्रस्ताव प्रस्तुत किया था।</p>

2020 का प्रतिवेदन संख्या 9

क्रम संख्या	ट्रांसमिशन परियोजनाएं	विवरण	प्रबंधन का जवाब	लेखापरीक्षा टिप्पणियां
		<p>➤ इसी प्रकार, पल्लाटाना में - सूरजमणिनगर (टीएसईसीएल) 400 केवी डीसी लाइन (उदयपुर क्षेत्र), वन प्रस्ताव को फिर से प्रस्तुत किया गया (22 जनवरी 2011) के बाद से पूर्व प्रस्ताव (2 जुलाई 2010) 3.923 हेक्टेयर के लिए था, जबकि संयुक्त सत्यापन के बाद वास्तविक वन क्षेत्र केवल 3.345 हेक्टेयर का पाया गया। नक्शे पर ट्रांसमिशन लाइन के गलत संरेखण के कारण डायवर्जन के लिए आवश्यक वन क्षेत्र को फिर से घटाकर 2161 हेक्टेयर कर दिया गया।</p>	<p>2) पल्लाटाना - सूरजमणिनगर 400 केवी डीसी लाइन: संयुक्त सत्यापन के आधार पर क्षेत्र को संशोधित कर 3.345 हेक्टेयर किया गया था; और बाद में 2.161 हेक्टेयर तक भूखंड के कुछ गैर-वन क्षेत्र के रूप में पुष्टि की गई। आगे कहा गया कि भूमि की पहचान की जिम्मेदारी राज्य राजस्व विभाग की है और पावरग्रिड की इसमें कोई भूमिका नहीं है।</p>	<p>2) पल्लाटाना - सूरजमणिनगर 400 केवी डीसी लाइन: डब्ल्यूपीपी को बीओक्यू और लागत अनुमान तैयार करने से पहले शामिल होने वाले वन खंडों के विस्तृत सर्वेक्षण को करने की आवश्यकता है (यानी, निवेश अनुमोदन प्राप्त करने से पहले)। इसका अनिवार्य रूप से अर्थ है कि वन प्रस्ताव प्रस्तुत करने से पहले विस्तृत सर्वेक्षण किए जाने चाहिए। यदि पावरग्रिड ने सैद्धांतिक रूप से इसका पालन किया होता, तो राज्य प्राधिकारियों द्वारा मूल्यांकन किए गए क्षेत्र से पावरग्रिड द्वारा मूल्यांकन किए गए क्षेत्र में विचलन के उदाहरणों को कम किया जा सकता था । इसके अलावा, प्रबंधन का यह तर्क है कि भूमि की पहचान राज्य राजस्व विभाग की जिम्मेदारी है और पावरग्रिड की इसमें कोई भूमिका नहीं है क्योंकि पावरग्रिड द्वारा निवेश अनुमोदन से पहले सामना किए जाने वाले वन खंडों</p>

क्रम संख्या	ट्रांसमिशन परियोजनाएं	विवरण	प्रबंधन का जवाब	लेखापरीक्षा टिप्पणियां
2	'उत्तर पूर्व-उत्तरी/ पश्चिमी इंटर-कनेक्टर-1 (सुबनसिरी और कामेंग) परियोजना से जुड़ी ट्रांसमिशन लाइन	<p>अरुणाचल प्रदेश के ट्विन लैपिंग कंडक्टर के साथ 'लोअर सुबनसिरी - बिस्वानाथचारियाली (पूलिंग प्वाइंट) केवी 2 डीसी लाइनों के मामले में कंपनी द्वारा 05 जून 2008 को पहला फॉरेस्ट क्लीयरेंस प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। तथापि, वन प्रभाग द्वारा 01.04.2009 को वन प्रस्ताव वापस कर दिया गया था, जिसमें कहा गया था कि वास्तविक वन क्षेत्र को डायवर्ट किया जाना 24.117 हेक्टेयर के बजाय 84 हेक्टेयर होगा, जैसा कि पीजीसीआईएल ने दावा किया है। यह त्रुटि इसलिए हुई क्योंकि पीजीसीआईएल ने 400 केवी ट्रांसमिशन लाइनों के लिए विचार किए जाने वाले प्रभावी क्षेत्र के संबंध में वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के दिशा-निर्देशों का पालन नहीं किया था। तदनुसार, पीजीसीआईएल ने 13.04.2009 के अपने पत्र के माध्यम से 7432 हेक्टेयर भूमि के डायवर्जन का प्रस्ताव संशोधित किया और फिर से प्रस्तुत किया।</p>	<p>1) लोअर सुबनसिरी - बिस्वानाथ चारियाली (पूलिंग प्वाइंट) केवी 2 डीसी लाइनें ट्विन लैपिंग कंडक्टर (अरुणाचल प्रदेश और असम भाग): यह स्पष्ट है कि 400 केवी ट्रांसमिशन लाइनों के लिए विचार किए जाने वाले 'प्रभावी क्षेत्र' के बारे में वन संरक्षण अधिनियम, 1980 की गाइडलाइन का पावरग्रिड द्वारा पालन नहीं किया गया था। इसके अलावा, पावरग्रिड द्वारा किए गए सर्वेक्षण के दौरान एनएचपीसी के अंतर्गत आने वाले असम में सुबनसिरी आरक्षित वन के अंतर्गत वन भूमि की पहचान कैसे नहीं की जा सकी, इस संबंध में उत्तर मौन है।</p>	<p>के विस्तृत सर्वेक्षण को अंजाम देने का कार्य स्पष्ट रूप से अपने डब्ल्यूपीपीपी द्वारा अनिवार्य है।</p>

2020 का प्रतिवेदन संख्या 9

क्रम संख्या	ट्रांसमिशन परियोजनाएं	विवरण	प्रबंधन का जवाब	लेखापरीक्षा टिप्पणियां
		<p>➤ कामेंग - बालीपारा 400 केवी डीसी लाइन: इसी तरह ट्रांसमिशन लाइन के असम भाग के लिए, यद्यपि प्रारंभिक वन प्रस्ताव 05.06.2008 को प्रस्तुत किया गया था, बाद में यह पहचान की गई कि असम में सुबनसिरी आरक्षित वन के अंतर्गत 7.105 हेक्टेयर वन भूमि एनएचपीसी के परियोजना क्षेत्र के अंतर्गत आ गई। इसलिए इसके डायवर्सन का प्रस्ताव 09.02.2009 को नोडल अधिकारी को भेजा गया था। तथापि, पीजीसीआईएल ने दिनांक 16.05.2009 के अपने पत्र के माध्यम से वन भूमि के 989 हेक्टेयर (पहले के 7.105 हेक्टेयर के बजाय) के डायवर्सन के लिए एक अलग प्रस्ताव प्रस्तुत किया क्योंकि यह महसूस किया गया था कि कुल प्रभावी भूमि पर विचार करने के लिए परिवर्तन किया जाना चाहिए। इसी प्रकार, कामेंग - बालीपारा 400 केवी डीसी लाइन के मामले में 13.06.2008 को प्रस्तुत प्रारंभिक प्रस्ताव 95.842 हेक्टेयर (अरुणाचल प्रदेश के लिए) के लिए था। तथापि, फील्ड सत्यापन के</p>	<p>2) कामेंग - बालीपारा 400 केवी डीसी लाइन (असम और अरुणाचल प्रदेश): प्रस्ताव में भिन्नता नीचे और बाकी क्षेत्र पर गहरी घाटियों के साथ पहाड़ी सबसे ऊपर के लिए विभिन्न चौड़ाई पर विचार करने के कारण हुई। हालांकि, वन अधिकारियों ने पावरगिड को पूरे खंड के लिए 46 एम के पंक्ति गलियारे पर विचार करने का निर्देश दिया ।</p>	<p>2) कामेंग - बालीपारा 400 केवी डीसी लाइन: विभिन्न प्रकार की ट्रांसमिशन लाइनों के लिए पंक्ति की चौड़ाई वन संरक्षण अधिनियम, 1980 द्वारा अनिवार्य की गई है और इसलिए, तत्काल मामले में वन क्षेत्र के पुनर्संचरण से बचा जा सकता था पावरगिड ने इसके साथ पालन सुनिश्चित किया था।</p>

क्रम संख्या	ट्रांसमिशन परियोजनाएं	विवरण	प्रबंधन का जवाब	लेखापरीक्षा टिप्पणियां
3	झारखंड और पश्चिम बंगाल (पार्ट बी) परियोजना में चरण 1 जनरेशन परियोजनाओं के लिए पारेषण प्रणाली	<p>संबंध में वास्तविक क्षेत्रफल 13356 हेक्टेयर पाया गया था और इस प्रकार 06.05.2009 को पावरग्रिड को संशोधित क्षेत्र के साथ प्रस्ताव पुन प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था और इसे 12.05.2009 को डीएफओ को भेज दिया गया था।</p> <p>वारणसी के मामले में - ऊपर की परियोजना से जुड़े सारनाथ 400 केवी डीसी क्वाड ट्रांसमिशन लाइन, 0.092 हेक्टेयर के लिए वारणसी क्षेत्र के लिए आवेदन 27.12.2013 को प्रस्तुत किया गया था। हालांकि, बाद में कंपनी ने आकलन किया कि जौनपुर क्षेत्र में कुछ और वन खंड शामिल होंगे, जिसके लिए 23.06.2014 को वन मंजूरी प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था।</p>	<p>1) वारणसी - सारनाथ 400 केवी डीसी क्वाड ट्रांसमिशन लाइन: चूंकि वन प्रस्ताव को ऑनलाइन फाइल करना अनिवार्य कर दिया गया था, इसलिए इसे 12 मार्च 2014 को ऑनलाइन प्रस्तुत किया गया था।</p>	<p>1) वारणसी - सारनाथ 400 केवी डीसी क्वाड ट्रांसमिशन लाइन: जौनपुर क्षेत्र के लिए अतिरिक्त वन खंड की आवश्यकता के कारण 23 जून 2014 को वन प्रस्ताव को फिर से प्रस्तुत करने के लिए प्रबंधन का जवाब ऑडिट अवलोकन के लिए विशिष्ट नहीं है।</p>

अनुलग्नक-4

जैसा कि पैरा 4.7.2 में संदर्भित किया गया है

चयनित ट्रांसमिशन योजनाओं के संबंध में लाइन लोडिंग का विवरण दर्शाने वाला विवरण

क्रम संख्या	परियोजना का नाम	ट्रांसमिशन लाइन	कमीशन की तिथि	अधिकतम लोड क्षमता प्रति सीक्रेटी (मेगावाट)	औसत बिजली प्रवाह	अधिकतम बिजली प्रवाह	% औसत बिजली प्रवाह	अधिकतम बिजली प्रवाह का % w.r.t अधिकतम लोड क्षमता
1	सिस्टम मजबूत करना - दक्षिणी क्षेत्रीय ग्रिड में 19 (एसआरएसएस - 19)	1) कुरनूल - तिरुवालम 765 केवी डीसी लाइन (355 किमी)	नवम्बर-14	2,500	622.18	1619.55	24.89	64.78
2	छत्तीसगढ़ में आईपीपी उत्पादन परियोजनाओं के लिए डब्ल्यूआर के लिए पश्चिमी भाग में ट्रांसमिशन सिस्टम मजबूत - डीपीआर 4	1) वर्धा - औरंगाबाद 765 केवी डीसी लाइन (350 किमी) 2) औरंगाबाद - बोईसर 400 केवी डीसी क्वाड (336 किमी)	जुलाई-14 दिसम्बर-17	2,500 2,186	1151.38 295.77	1648.79 645.68	46.06 13.53	65.95 29.54
3	छत्तीसगढ़ में आईपीपी परियोजनाओं के लिए डब्ल्यूआर के उत्तर/ पश्चिम भाग में सिस्टम मजबूत (डीपीआर-5)	1) औरंगाबाद - पाघे 765केवी डीसी (279 किमी)	दिसम्बर-17	2,500	439.44	1217.38	17.58	48.70
4	ईस्ट कोस्ट एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड और एनसीसी से जुड़ी कॉमन सिस्टम, श्रीकाकुलम एरिया-पार्ट-बी में पावर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड एलटीओए जेनरेशन प्रोजेक्ट्स	1) अंगुल - झारसुगुड़ा 765 केवी डीसी (245 किमी) 2) झारसुगुड़ा - धरमजयगढ़ 765 केवी डीसी लाइन (156 किमी)	दिसम्बर-18 नवम्बर-18	2,500 2,500	586.38 508.12	735.81 255.93	23.46 20.32	29.43 10.24

5	पलेटाना गैस आधारित विद्युत परियोजना एबीडी बॉगईगांव थर्मल पावर स्टेशन से जुड़ी ट्रांसमिशन प्रणाली	1) सिलचर - पुरबा कंचन बारी (टीएसईसीएल) 400 केवी डीसी लाइन - 122 किमी 2) सिलचर - मेल्लिएट (नई) 400केवी डीसी लाइन - 160 किमी 3) सिलचर - इंफाल (नई) 400 केवी डीसी लाइन - 140 किमी	जून-15	360	19.19	96.33	5.33	26.76
6	उत्तर पूर्व-उत्तरी/ पश्चिमी इंटर-कनेक्टर-1 (सुबानसिरी और कामेंग)	1) बिश्वनाथ चारियाली - आगरा पोल - 1800 केवी 6000 एमडब्ल्यू एचवीडीसी बाइपोल लाइन - 1971 किमी 2) बालीपारा - बॉगईगांव 400 केवी डीसी लाइन (क्वाड) - 300 किमी	अक्टूबर-15	3,000	244	2021	8.13	67.37
7	छत्तीसगढ़ में आईपीपी परियोजनाओं के लिए डब्ल्यूआर-एनआर एचवीडीसी इंटरकनेक्टर (डीपीआर-9)	1) 800 केवी, 3000 एमडब्ल्यू एचवीडीसी चंपा पूलिंग स्टेशन (डब्ल्यूआर) के बीच बिपोल - कुरुक्षेत्र (एनआर) - पोल-1 (बाद की तारीख में एचवीडीसी टर्मिनल को 6000 एमडब्ल्यू में अपग्रेड करने के प्रावधान के साथ) (1365 किमी) 2) 800 केवी, 3000 एमडब्ल्यू एचवीडीसी चंपा पूलिंग स्टेशन (डब्ल्यूआर) के बीच बिपोल - कुरुक्षेत्र (एनआर) - ध्रुव -II (बाद की तारीख में एचवीडीसी टर्मिनल को 6000 एमडब्ल्यू तक अपग्रेड करने के प्रावधान के साथ)	नवम्बर -14 मार्च-17 सितम्बर-17	2,186 3,000 3,000	145.90 612.42 699.13	965.05 1859 1870	6.67 20.41 23.30	44.15 61.97 62.33

2020 का प्रतिवेदन संख्या 9

9	विंध्याचल-4 और रिहंद-3 (1000 एमडब्ल्यू) जनरेशन प्रोजेक्ट्स का ट्रांसमिशन प्रणाली	1) सतना-ग्वालियर 765 केवी 2 एक्स एससी लाइन (सीकेटी-1 360 किमी, सीकेटी द्वितीय - 359 किमी) 2) ग्वालियर-जयपुर (आरवीपीएन) 765 केवी एससी लाइन (300 किमी)	फ़रवरी-14	2,500	453	300.4	18.12	12.02
10	उड़ीसा में चरण-1 जनरेशन परियोजनाओं के लिए ट्रांसमिशन प्रणाली (भाग-सी)	1) जबलपुर पूलिंग स्टेशन - बीना 765 केवी डीसी लाइन (238 किमी) 2) बीना - ग्वालियर 765 केवी एससी (तीसरा सर्किट) लाइन (241 किमी) 3) ग्वालियर - जयपुर 765 केवी एससी (दूसरा सर्किट) लाइन (300 किमी)	दिसम्बर -13 मई-14 अगस्त -15	2,500 2500 3,000	295.03 391.7 571	583.58 1038 571	11.80 15.67 19.03	23.34 41.52 19.03
11	झारखंड और पश्चिम बंगाल भाग बी में फेज-1 जनरेशन परियोजनाओं के लिए ट्रांसमिशन प्रणाली	1) वाराणसी - कानपुर 765 केवी डीसी 362 किमी लाइन	जुलाई-16	2,500	361.23	597.8	14.45	23.91
12	झारखंड और पश्चिम बंगाल में फेज - आई जनरेशन परियोजनाओं के लिए ट्रांसमिशन प्रणाली - भाग ए 2	1) रांची न्यू (765/ 400केवी सबस्टेशन) - धरमजयगढ़/ कोरबा के पास 765 केवी एससी लाइन (339 किमी) 2) गया - वाराणसी 765 केवी एससी लाइन (246 किमी) 3) बलिया - वाराणसी 765केवी एस/सी लाइन	दिसम्बर -15 अप्रैल-16 मार्च-16	2,500 2,500 2,500	102.95 157.02 131.48	753 582.02 627.29	4.12 6.28 5.26	30.12 23.28 25.09
13	कृष्णापटनम यूएमपीपी- भाग बी के लिए ट्रांसमिशन प्रणाली	1) शोलापुर - पुणे 765 केवी एससी लाइन - 269 किमी 2) रायचूर-शोलापुर 765 केवी एस/सी लाइन	फ़रवरी-15 दिसम्बर -13	2,500 2,750	358.37 799.56	1167 1361.3	14.33 29.07	46.68 49.50

14	एनआर और डब्ल्यूआर के लिए अंतर क्षेत्रीय प्रणाली सुदृढीकरण योजना (भाग-बी)	1) जबलपुर प्लिंग स्टेशन - उरई 765 केवी डीसी लाइन - 361 किमी 2) उरई - अलीगढ़ 765 केवी डीसी लाइन - 300 किमी लाइन ।	मार्च-18	3,000	264.18	892	8.81	29.73
15	वर्धा हैदराबाद 765 केवी लिंक [लत्कालीन कॉमन ट्रांसमिशन स्कीम आंध्र प्रदेश के वेमागिरी क्षेत्र में आईएसजीएस परियोजनाओं से संबद्ध है - भाग -बी]	2) वर्धा-निजामाबाद 765 केवी डीसी लाइन ।	मार्च-17	2,500	2109.88	2351.48	84.40	94.06
17	ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर: इंटर स्टेट ट्रांसमिशन प्रणाली (आईएसटीएस) - भाग - बी	1) बनासकांठा - चित्तौड़गढ़ (न्यू) 765 केवी डीसी लाइन । 3) चित्तौड़गढ़ - अजमेर (नई) 765 केवी डीसी लाइन - 199 किमी लाइन ।	मार्च-19	3,000	203.8	361	6.79	12.03
18	ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर: नवीकरणीय उत्पादन परियोजनाओं के लिए ट्रांसमिशन योजना - भाग सी	1) भुज पूल - बनकस्कंटा 765 केवी डीसी लाइन - 309 किमी	दिसम्बर -17	2,500	73.28	305.78	2.93	12.23
			जनवरी-19	2,500	77.5	766.34	3.10	30.65